



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर-452001

क्रमांक/प्रशा./अति.आक.अवकाश/2023/806


दिनांक :- 07 OCT 2023

## // आदेश //

माननीय राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त पत्र क्र.797/1326530/2023/1/दिनांक 05.07.2023 के द्वारा राज्य शासन की सभी महिला कर्मचारियों को 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त 07 दिवसों का आकस्मिक अवकाश (CL) स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त आदेशानुसार विश्वविद्यालय की समस्त महिला कर्मचारियों को 07 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (CL) की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक/प्रशा./अति.आक.अवकाश/2023/806  
प्रतिलिपि:-

दिनांक :- 07 OCT 2023

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख, समस्त अध्ययनशालाएँ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. पूछताक्ष लिपिक की ओर सूचनार्थ।
4. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।
5. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेंटर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।

  
सहायक कुलसचिव(प्रशासन)

